

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग, जयपुर के पत्रांक- प. 9(2)शि-5/05 जयपुर दिनांक 17-1-07 एवं आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देश क्रमांक शिविरा/प्रा/शैक्षिक/ सी/ 19626/ 02-06/II (मु.) 156 दिनांक 19-1-07 में वर्णित निर्देशों में क्रम 1 से 5 तक में निर्दिष्ट शर्तों की पालना किये जाने से

विजयनगर, ~~सन्त पाल स्कूल~~ को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 एवं तत्पश्चात किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सत्र 2007-08 से उच्च प्राथमिक स्तर पर (हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम) से मान्यता/क्रमोन्नति प्राप्त की जाती है।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकती है।

01. संस्था को समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी एवं विभाग द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करनी होगी।
02. प्रति तीन वर्ष में सक्षम अधिकारी से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेकर विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
03. संस्था द्वारा विभाग के निर्धारित कलैण्डर अनुसार ही शैक्षिक सत्र का संचालन करना होगा एवं निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही शिक्षण कार्य सम्पादित करना अनिवार्य होगा।
04. संस्था सत्रवार कक्षाओं की क्रमोन्नति करेगी। उ.प्रा.वि. स्तर पर शत-प्रतिशत प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति करेगी।

sdh
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शिक्षा) अजमेर

क्रमांक - जिशिअ/प्राशि/अज/मान्यता/2007


11575


दिनांक - 19.3.07

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं पालनार्थ

01. आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर
02. उप निदेशक (प्रा.शिक्षा) अजमेर मंडल, अजमेर
03. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम / द्वितीय) अजमेर
04. संबंधित संस्था सचिव/ प्रबन्धक सन्त पाल स्कूल विजयनगर
05. प्रभारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ/सांख्यिकी/ समान परीक्षा योजना कार्यालय हाजा/डाइट मसूदा
06. निर्देशन पत्रावली


Manager
St. Paul School


Principal


जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शिक्षा) अजमेर